न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज बाराबंकी ।

वाद संख्या 04 /06 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

बाबादीन कनौजिया बनाम सरकार

नकल आदेश दायपति दिनांक 26.10.06

बाबादीन कनौजिया पुत्र स्व0 महाबीर जी कनौजिया निवासी सी-112 सेक्टर-ए महानगर लखनऊ की ओर से इस न्यायालय पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 दिया गया । जिसमें कहा गया कि गाटा संख्या 1081 रकबा 0.165, 1082 रकबा 0.005, 1086 रकबा 0.435 हे0 व 1088 रकबा 0.444 हे0 स्थित ग्राम रेन्दुआ [illegible]हरी परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का संक्रमणीय भूमिधर तथा काबिज व दाखिल है। उपरोक्त गाटाओं के अगल-बगल के नम्बरातों में आबादी विकसित हो चुकी है । प्रश्नगत गाटाओं में भी खेती नहीं होती है क्योंकि यह भूमि खेती योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उपरोक्त गाटा संख्याओं को आबादी घोषित करने की कृपा की जाये ।

इस प्रार्थना पत्र की जाँच तहसील से करायी गई । तहसील की आख्या के अनुसार आवेदक उपरोक्त गाटाओं का संक्रमणीय भूमिधर है । मौके पर विवादित भूमि के चारों ओर बाउन्ड्री की गई है और उक्त भूमि में चार घर बने हुए है। इस गाटाओं पर काफी समय से कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर आबादी के रूप में प्रयोग की जा रही है। चूंकि भूमि का अब कृषिक उपयोग नहीं हो रहा है । आबादी के रूप में उपयोग किया जा रहा है । अतः धारा 143 ज0वि0अ0 के तहत आबादी घोषित करने में कोई वैधानिक अवरोध नहीं है।

मैंने तहसील की आख्या व उसमें संलग्न नजरी नक्शा एवं [illegible] पत्र नियम-135 का विधिवत अवलोकन किया । तहसील की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 1081, 1082, 1086 व 1088 का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है । इन भूखण्डों के चारों ओर बाउन्ड्री बनी हुई है और इनमें चार घरों का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। धारा 143 [illegible] में यह प्राविधान है कि यदि कोई भूमि कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि के कार्यों में प्रयुक्त न हो रही हो तो परगने का इंचार्ज [illegible] अथवा जाँच कराकर प्रख्यापन कर सकता है। चूंकि गाटा संख्या 1081, 1082, 1086 व 1088 स्थित ग्राम रेन्दुआ पल्हरी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी लगान परता खाता में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है । अतः उक्त गाटाओं को 1081, 1082, 1086 व 1088 को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन कराया जाये । बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0 अपठनीय

उप जिलाधिकारी,

नवाबगंज-बाराबंकी ।

27.10.06

329

बाबादीन कनौजिया बनाम सरकार

नकल आदेश दिनांक 26.10.06

बाबादीन कनौजिया पुत्र स्व0 महाबीर जी कनौजिया निवासी सी-112 सेक्टर-ए महानगर लखनऊ की ओर से इस न्यायालय पर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0 दिया गया। जिसमें कहा गया कि गाटा संख्या 1081 रकबा 0.165, 1082 रकबा 0.005, 1086 रकबा 0.435 हे0 व 1088 रकबा 0.444 हे0 स्थित ग्राम रेन्दुआ पलहरी परगना देवा तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी का संक्रमणीय भूमिधर तथा काबिज व काबिल है। उपरोक्त गाटाओं के अगल-बगल के नम्बरानों में आबादी विकसित हो चुकी है। प्रश्नगत गाटाओं में भी खेती नहीं होती है क्योंकि यह भूमि खेती योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उपरोक्त गाटा संख्याओं को आबादी घोषित करने की कृपा की जाये।

इस प्रार्थना पत्र की जाँच तहसील से करायी गई। तहसील की आख्या के अनुसार आवेदक उपरोक्त गाटाओं का संक्रमणीय भूमिधर है। मौके पर विवादित भूमि के चारों ओर बाउन्ड्री की गई है और उक्त भूमि में चार घर बने हुए है। इस गाटाओं पर काफी समय से कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर आबादी के रूप में प्रयोग की जा रही है। चूंकि भूमि का अब कृषिक उपयोग नहीं हो रहा है। आबादी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अतः धारा 143 ज0वि0अ0 के तहत आबादी घोषित करने में कोई विधानिक अवरोध नहीं है।

मैंने तहसील की आख्या व उसमें संलग्न नजरी नक्शा एवं [illegible] पत्र नियम-135 का विधिवत अवलोकन किया। तहसील की आख्या के अनुसार गाटा संख्या 1081, 1082, 1086 व 1088 का उपयोग कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। इन भूखण्डों के चारों ओर बाउन्ड्री बनी हुई है और इनमें चार घरों का निर्माण हो चुका है। इसलिए यह भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है। धारा 143 ज0वि0अ0 में यह प्राविधान है कि यदि कोई भूमि कृषि, बागवानी, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन आदि के कार्यों में प्रयुक्त न हो रही हो तो परगने का इंचार्ज सहायक कलेक्टर अथवा जाँच कराकर प्रख्यापन कर सकता है। चूंकि गाटा संख्या 1081, 1082, 1086 व 1088 स्थित ग्राम रेन्दुआ पलहरी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी लगान परता खाता में कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः उक्त गाटाओं को 1081, 1082, 1086 व 1088 को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में अंकन कराया जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अवनीश [illegible])
उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज बाराबंकी।

ह0 अपठनीय

COURT FEE
FIVE RUPEES
INDIA
CANCELLED

27.10.06
329
27.10.06